न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 339/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/484)

वादीगण बनाम	प्रतिवादी
1. महेन्द्र कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। 2. इन्द्राज पुत्र रेवन्ता राम जाति जाट निवासी नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। 3. विपिन कुमार पुत्र राकेश कुमार जाति जाट निवासी नग्गी तहसील श्रीकरणपुर।	1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणुपर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 04.11.2025

उपस्थितः1. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादीगण

---निर्णय--- **दिनांकः22.12.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 41 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 07/06 के मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 1.486 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 43/41 के मुरब्बा नम्बर 4, 41 की कुल 2.884 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 71/7 के मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 1.487 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण ने आपसी सहुलियत के अनुसार सहमति से घरू वाहमी बंटवारा किया हुआ है। घरू वाहमी बंटवारानामा अनुसार ही वादीगण अपने-अपने रकबा पर पिछले काफी समय काश्त करते आ रहे है। वादीगण अपने-अपने रकबा पर काबिज अवश्य है। लेकिन कब्जा काश्त के अनुसार रकबा अंकित नहीं है। हालांकि वादीगण ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओ का निर्माण किया है। वादीगण की भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 41 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 07/06 के मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 1.486 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 43/41 के मुरब्बा नम्बर 4, 41 की कुल 2.884 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 71/7 के मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 1.487 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण को घरू वाहमी बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में प्रतिवादी की तलवी हो चुकी है। इसलिए जवाब स्टेट बन्द किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथप एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड

दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की अंतिम डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम 41 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 07/06 के मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 1.486 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 43/41 के मुरब्बा नम्बर 4, 41 की कुल 2.884 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 71/7 के मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 1.487 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
महेन्द्र कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। (2.884 हैक्टेयर भूमि)	41 एच	4	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
			10, 11	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
			20, 21	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
		41	4	0.075 हैक्टेयर	नहरी	0.62
			5, 6	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
			7	0.075 हैक्टेयर	नहरी	0.62
			14	0.077 हैक्टेयर	नहरी	0.64
			15, 16	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
			17	0.076 हैक्टेयर	नहरी	0.63
			24	0.076 हैक्टेयर	नहरी	0.63
			25	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
इन्द्राज पुत्र रेवन्ता राम जाति जाट निवासी नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। (1.486 हैक्टेयर भूमि)	41 एच	41	4	0.110 हैक्टेयर	नहरी	0.91
			7	0.110 हैक्टेयर	नहरी	0.91
			14	0.109 हैक्टेयर	नहरी	0.90
			20/2	0.221 हैक्टेयर	नहरी	1.83
			21, 22, 23	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.30
			24	0.177 हैक्टेयर	नहरी	1.47
विपिन कुमार पुत्र राकेश कुमार जाति जाट निवासी नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। (1.487 हैक्टेयर भूमि)	41 एच	41	4	0.068 हैक्टेयर	नहरी	0.56
			7	0.068 हैक्टेयर	नहरी	0.56
			11/2	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.52
			12	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
			13/1	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.05
			13/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.05
			14	0.067 हैक्टेयर	नहरी	0.56
			17	0.177 हैक्टेयर	नहरी	1.47
			18, 19	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
			20/1	0.032 हैक्टेयर	नहरी	0.27

व खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। सहमति का बंटवारानामा दिनांक 03.10.2025 निर्णय का एक भाग माना जाऐगा। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम} (आर.प्र.से.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम} (आर.प्र.से.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी}

(civil procedure code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

महेन्द्र कुमार आदि बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आरटीए मुकदमा नम्बर 339/2025

निर्णय दिनांक:-22.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 41 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 07/06 के मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 1.486 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 43/41 के मुरब्बा नम्बर 4, 41 की कुल 2.884 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 71/7 के मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 1.487 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
महेन्द्र कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। (2.884 हैक्टेयर भूमि)	41 एच	4	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
			10, 11	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
			20, 21	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
		41	4	0.075 हैक्टेयर	नहरी	0.62
			5, 6	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
			7	0.075 हैक्टेयर	नहरी	0.62
			14	0.077 हैक्टेयर	नहरी	0.64
			15, 16	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
			17	0.076 हैक्टेयर	नहरी	0.63
			24	0.076 हैक्टेयर	नहरी	0.63
			25	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
इन्द्राज पुत्र रेवन्ता राम जाति जाट निवासी नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। (1.486 हैक्टेयर भूमि)	41 एच	41	4	0.110 हैक्टेयर	नहरी	0.91
			7	0.110 हैक्टेयर	नहरी	0.91
			14	0.109 हैक्टेयर	नहरी	0.90
			20/2	0.221 हैक्टेयर	नहरी	1.83
			21, 22, 23	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.30
			24	0.177 हैक्टेयर	नहरी	1.47
विपिन कुमार पुत्र राकेश कुमार जाति जाट निवासी नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। (1.487 हैक्टेयर भूमि)	41 एच	41	4	0.068 हैक्टेयर	नहरी	0.56
			7	0.068 हैक्टेयर	नहरी	0.56
			11/2	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.52
			12	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
			13/1	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.05
			13/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.05
			14	0.067 हैक्टेयर	नहरी	0.56
			17	0.177 हैक्टेयर	नहरी	1.47
			18, 19	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
			20/1	0.032 हैक्टेयर	नहरी	0.27

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। सहमति का बंटवारानामा दिनांक 03.10.2025 निर्णय का एक भाग माना जाऐगा।

आज दिनांक 26.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

ुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	350	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**354**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/948 दिनांकः 26.12.2025

प्रतिलिपिः- तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर